

मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन योजना FAQ's

- Q1. स्पोर्ट्सपर्सन योजना क्या है?
A1. प्रदेश के अन्तार्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए निःशक्त दुर्घटना बीमा योजना है जो पदक प्राप्तकर्ता की क्षति व मृत्यु पर बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।
- Q2. रजिस्ट्रेशन एवं दावा निस्तारण प्रक्रिया क्या है?
A2. योजना में रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन संदर्भित प्रक्रिया है।
- Q3. योजना में दावे हेतु क्लेम फॉर्म के प्रस्तुत दस्तावेज क्या होंगे?
A3. (1) मृत्यु प्रमाण-पत्र।
(2) पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
(3) एफआईआर/एफआर/मर्ग रोजनामचा रिपोर्ट/स्वीकृत मुग रिपोर्ट।
(4) पंचनामा यदि हो तो।
(5) चिकित्सालय द्वारा जारी समरी (यदि हो तो)
- Q4. योजना का लाभ कब देय नहीं है?
A4. योजना का लाभ हत्या का प्रयास, आत्महत्या, परमाणविक अस्त्रों द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधि, कानूनों का उल्लंघन पर बीमित के पहले विद्यमान शक्ति पर।
- Q5. योजना में दावा प्रस्तुत की अवधि सीमा क्या है?
A5. 3 माह (90 दिन)
- Q6. योजना का अपील अधिकारी कौन है?
A6. प्रथम अपील अधिकारी निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- Q7. योजना का नोडल विभाग कौन होगा?
A7. योजना का नोडल विभाग राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद है।
- Q8. योजना में बीमा की अवधि क्या है?
A8. योजना की अवधि योजना लागू होने की दिनांक से आगामी 1 वर्ष तक है।
- Q9. योजना में बीमित की अधिकतम आयु क्या है?
A9. योजना में बीमित की अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक न हों।
- Q10. बीमा योजना में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है?
A10. (1) जनधार/आधार कार्ड।
(2) राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
(3) अन्तार्राष्ट्रीय पदक प्राप्त करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सक्षम खेल संघ का प्रमाण पत्र।
(4) बचत बैंक खाता विवरण।
(5) मनोनीत का विवरण एवं उसका बैंक खाता विवरण।